जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
86/2016
A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 86/2016 अनवानी 1—श्री श्योपतराम पुत्र श्री पन्नाराम 2—श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री जगदीश 3—श्री देवीलाल पुत्र श्री जगदीश 4—गुडडीदेवी पत्नि श्री जगदीश 5—श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासीगण चक बींझवायला तहसील पदमपुर बनाम 1—उपखण्ड अधिकारी पदमपुर 2—श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री पन्नाराम जाति जाट निवासी चक बींझवायला तहसील पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.11.2016

प्रार्थी के अभिभाषक श्री शिवनारायण बिश्नोई उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 2 श्री पृथ्वीराज के अभिभाषक श्री बलकरण सिंह बराड़ उपस्थित है। उपखण्ड अधिकारी पदमपुर से प्राप्त प्रतिवेदन सं0 7068 दिनांक 28.10.2016 शामिल किया गया। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 2 श्री पृथ्वीराज के अभिभाषक श्री बलकरण सिंह बराड़ का कथन है कि प्रार्थीगण द्धारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित राजस्व वाद प्रकरण सं0 13/2016 अनवानी पृथ्वीराज बनाम श्योपतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का कार्यभार अन्य पीठासीन अधिकारी को सौंपा जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्धारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित राजस्व वाद प्रकरण सं0 13/2016 अनवानी पृथ्वीराज बनाम श्योपतराम व अन्य अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि कार्यवाहक उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का कार्यभार अन्य पीठासीन अधिकारी को सौंपा जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र अब निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1567
19-11-16

आदेश आज दिनांक 15.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.न.

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर